लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 5/ 2024

GCMS NO. : 2024/31

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री निलेश साद/ गौतमलाल साद, राजपुर, वार्ड नं. 1, डूंगरपुर	बनाम	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 19–07–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **श्री निलेश साद** की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई जिसके अनुसार अपीलार्थी **श्री निलेश साद** को अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **22–02–2024** द्वारा वांछित सूचना **उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** से प्राप्त नही होने पर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 01–07–2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 19–07–2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। **उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** ने उनके पत्रांक एफ ( ) निर्वा/ आर.टी.आई/2022–23 /2038 दिनांक 18–07–2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:15 IST
Reason: SelfAttested

26–02–2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को नियमानुसार राशि जमा कराये जाने पत्र क्रमांक 541 दिनांक 27–02–2024 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 22–02–2024, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा एफ ( ) निर्वा/ आर.टी.आई/2022–23 /2038 दिनांक 18–07–2024 से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22–02–2024 दिनांक 26–02–2024 को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत आवेदन पर **उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3)(क) के तहत पत्रांक 541 दिनांक 27–02–2024 से नियामानुसार निर्धारित शुल्क राशि रु. 14/– जमा करा सूचना प्राप्त करने अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। अपीलार्थी नियमानुसार निर्धारित शुल्क राशि जमाकोष करा **उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** से सूचना प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला निर्वा.अधि. (कलक्टर),
बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:15 IST
Reason: SelfAttested